

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

चतरो पुत्र गरीबा पुत्र भीम सैन, निवासी महाल मोहली—लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. सत्या देवी विधवा परपोतम चंद, 2. दीना, चोकस राम पुत्र गरीबा, निवासी गांव नड्डी खडौता, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, 3. सुमना कुमारी पुत्री छजु, निवासी महाल चटेहड़, पोस्ट ऑफिस योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 4. डिंपल कुमारी पुत्री छजु, निवासी गांव व डाकखाना राख, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, 5. व्यासो देवी विधवा छजु, निवासी महाल नड्डी खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 6. भगवान दास पुत्र चुहडु, निवासी महाल मोहली लाहड़ा—दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 7. समंगला देवी पुत्री गुरिया, निवासी लोअर सुधेड़, पोस्ट ऑफिस सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 8. मूल राज, 9. अनूप पुत्र व 10. नीलम पुत्री व 11. सिमरो देवी विधवा रिखिया, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 12. जगदीश, 13. विजय पुत्र जेशी राम, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 14. रमेश, 15. मदन पुत्र खजाना, निवासी मोहली लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 16. दूनी चंद, 17. कल्याण चंद पुत्र चमारु, निवासी महाल मोहली लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, 18. माली राम पुत्र चमारु, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 19. आशों देवी पुत्री चमारु, निवासी बागोतला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, 20. गुजरो देवी पुत्री चमारु, निवासी गांव बदसर पोस्ट ऑफिस जिया, तहसील पालमपुर, 21. पुष्पा देवी पत्नी मदन लाल, निवासी गांव व डाकखाना शाहपुर, तहसील शाहपुर, 22. सुभद्रा देवी पत्नी तरसेम सिंह, निवासी गांव धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, 23. शकुंतला देवी पुत्री परताप, निवासी मोहाली लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 26, खतौनी नं0 55 ता 56, खसरा नं0 21 व 77/1, कित्ता 2, रकबा तादादी 00—03—96 है0, वाक्या महाल मोहली लाहड़ा दी मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की तकसीम करने बारे।

प्रार्थना—पत्र चतरो पुत्र गरीबा पुत्र भीम सैन, निवासी महाल मोहली—लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र/मुश्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 18—06—2025 को प्रातः 11.00 बजे असातन या वकलातन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

चतरो पुत्र गरीबा पुत्र भीम सैन, निवासी महाल मोहली-लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. सत्या देवी विधवा परपोतम चंद, 2. दीना, चोकस राम पुत्र गरीबा, निवासी गांव नड्डी खडौता, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, 3. सुमना कुमारी पुत्री छजु, निवासी महाल चटेहड़, पोस्ट ऑफिस योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 4. डिंपल कुमारी पुत्री छजु, निवासी गांव व डाकखाना राख, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, 5. व्यासो देवी विधवा छजु, निवासी महाल नड्डी खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 6. भगवान दास पुत्र चुहडु, निवासी महाल मोहली लाहड़ा-दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 7. समंगला देवी पुत्री गुरिया, निवासी लोअर सुधेड़, पोस्ट ऑफिस सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 8. मूल राज, 9. अनूप पुत्र व 10. नीलम पुत्री व 11. सिमरो देवी विधवा रिखिया, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 12. जगदीश, 13. विजय पुत्र जेशी राम, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 14. रमेश, 15. मदन पुत्र खजाना, निवासी मोहली लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 16. दूनी चंद, 17. कल्याण चंद पुत्र चमारु, निवासी महाल मोहली लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, 18. माली राम पुत्र चमारु, निवासी महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, 19. आशों देवी पुत्री चमारु, निवासी बागोतला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, 20. गुजरो देवी पुत्री चमारु, निवासी गांव बदसर पोस्ट ऑफिस जिया, तहसील पालमपुर, 21. पुष्पा देवी पत्नी मदन लाल, निवासी गांव व डाकखाना शाहपुर, तहसील शाहपुर, 22. सुभद्रा देवी पत्नी तरसेम सिंह, निवासी गांव धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, 23. शकुंतला देवी पुत्री परताप, निवासी मोहली लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 7, खतौनी नं0 7 खसरा नं0 299 व 300, कित्ता 2, रकबा तादादी 00—01—13 है0, वाक्या महाल खडौता, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की तकसीम करने बारे।

प्रार्थना—पत्र चतरो पुत्र गरीबा पुत्र भीम सैन, निवासी महाल मोहली-लाहड़ा दी, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र/मुश्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 18-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे असातन या वकलातन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

नवदीप डींगरा पुत्र तिलक राज, निवासी गुरुद्वारा रोड़ कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला through power of attorney holder of श्री प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह पुत्र मूल, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. ओम प्रकाश, 2. प्रषोतम लाल 3. सेठ राम 4. कमला देवी 5. पावन देवी पुत्रियां व 6. डुमनी देवी हिरदु राम पुत्र दसोंदी, अंकुश कुमार पुत्र व 7. श्रीमती सपना देवी, 8. श्रीमती शिवानी देवी पुत्रियां व 9. श्रीमती सुमना देवी विधवा देश राज पुत्र हीरदु, 10. श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री दशोंदी पुत्र मोहन, 11. कुलदीप कुमार पुत्र व 12. श्रीमती सुभा देवी 13. श्रीमती सिमरिता देवी 14. श्रीमती इन्दु वाला पुत्रियां श्रीमती भोटा देवी पुत्री दशोंदी, 15. दुर्गा राम पुत्र हरिया पुत्र तपिया संकेत राज पुत्र व 16. श्रीमती सीमा देवी, 17. श्रीमती वीना देवी, 18. श्रीमती रीना देवी, 19. श्रीमती सुनीता देवी, 20. श्रीमती रीता देवी पुत्रियां व 21. श्रीमती तारो देवी विधवा दलीप सिंह पुत्र हरिया, 22. स्वरूप कुमार, 23. जय करण, 24. जीत कुमार, 25. मान सिंह, 26. संजय कुमार पुत्र व 27. श्रीमती स्वर्ण देवी पुत्रीन, 28. श्रीमती कलाशों देवी विधवा गोरख पुत्र तपिया, 29. पूर्ण चंद, 30. रणजीत सिंह, 31. मदन लाल, 32. जय चंद, 33. भरत सिंह पुत्र 34. श्रीमती सलोचना, 35. श्रीमती निर्मला देवी, 36. श्रीमती कांता देवी पुत्रियां व 37. श्रीमती प्रेमी देवी विधवा खोजू राम पुत्र जुगत, 38. सुरिंदर कुमार पुत्र व 39. श्रीमती सीता देवी विधवा जोधा राम पुत्र जुगत, 40. सुरिन्दर कुमार पुत्र ठाकुर सिंह पुत्र कालू राम, 41. सुनील कुमार पुत्र पूर्ण चंद पुत्र माधो राम, 42. श्रीमती ज्योति जरयाल पत्नी भरत सिंह पुत्र खोजू राम, 43. बलदेव थापा पुत्र श्रीमती रत्नावली पत्नी हरनाम निवासीयान मोहाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.— तकसीम भूमि खाता नं0 3, खतौनी नं0 6 व 7, खसरा कित्ता 6, रकबा तादादी 0—17—57 है0, वाक्या महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी नवदीप डींगरा पुत्र तिलक राज, निवासी गुरुद्वारा रोड़ कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला through power of attorney holder of श्री प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह पुत्र मूल, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रार्थना—पत्र तकसीम बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुश्तरी मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19—06—2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

नवदीप डींगरा पुत्र श्री तिलक राज, निवासी गुरुद्वारा रोड़ कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला through power of attorney holder of श्री प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह पुत्र मूल, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

1. कुलदीप कुमार पुत्र व 2. श्रीमती देसों पुत्री श्रीमती सत्या देवी पुत्री मोती, 3. मदन लाल, 4. अजय कुमार पुत्रान अनिरुद्ध कुमार पुत्र मोती, 5. बिहारी लाल पुत्र व 6. श्रीमती हल्लों देवी, 7. श्रीमती गायत्री देवी, 8. श्रीमती माया देवी पुत्रियां व 9. श्रीमती वैसों देवी विधवा मोती पुत्र बांका, 10 रसीला राम, 11. शिव दर्शन, 12. धनु राम पुत्रान जय किशन पुत्र सुखिया, 13. प्रताप चन्द, 14. दीनानाथ, 15. गरीब दास पुत्रान व 16. श्रीमती फंगों देवी, 17. श्रीमती मंगला देवी, 18. श्रीमती रेखा देवी पुत्रियां देव स्वरूप पुत्र सुखिया, 19. कर्नल हरीश चन्द पुत्र ईश्वर दास पुत्र दीवाना, 20. ओम प्रकाश, 21. ललित कुमार पुत्रान छवि लाल पुत्र सावन मल, 22. श्रीमती सपना देवी पुत्री व 23. श्रीमती रतो देवी विधवा प्यारे लाल पुत्र सावन, 24. श्रीमती कमला देवी विधवा बंशी लाल सावन, 25. रतन चन्द, 26. उत्तम चन्द पुत्रान व 27. श्रीमती बिमला देवी, 28. श्रीमती निर्मला देवी, 29. श्रीमती संगरनदु देवी, 30. श्रीमती वीना देवी, 31. श्रीमती अनीता देवी, 32. श्रीमती कौशल्या देवी विधवा किशन दत्त पुत्र प्रभु, 33. श्रीमती अंजु कुमारी, 34. कुमारी रजनी पुत्रियां व 35. श्रीमती आशा देवी विधवा वेद प्रकाश पुत्र किशन दत्त, निवासीयान मोहाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नं0 38, खतौनी नं0 124 ता 128, खसरा कित्ता 20, रकबा तादादी 0—24—93 है0, वाक्या महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी नवदीप डींगरा पुत्र तिलक राज, निवासी गुरुद्वारा रोड़ कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला through power of attorney holder of श्री प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह पुत्र मूल, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रार्थना—पत्र तकसीम बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुश्तरी मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19—06—2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

नवदीप डींगरा पुत्र श्री तिलक राज, निवासी गुरुद्वारा रोड़ कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला through power of attorney holder of श्री प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह पुत्र मूल, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ।

बनाम

1. लाल चंद, 2. विक्रम सिंह, 30 उत्तम चंद पुत्र भात, 4. अजय, 5. चंदु लाल पुत्र व 6. आशा देवी विधवा रजिन्दर कुमार, 7. आदित्य पुत्र, 8. सोनाली पुत्री व 9. श्रीमती मंजु विधवा संजीव कुमार, 10. श्रीमती चरजू देवी पुत्री चुनी लाल, 11. किशोरी लाल, 12. जोगिंदर सिंह पुत्र व 13. श्रीमती बोहतू, 14. छेलो पुत्री बेली, 15. दीनौ पुत्र मरवनी, 16. शम्मी कुमार, 17. सननी कुमार पुत्र व 18. निर्मला देवी विधवा संसार चंद, 19. ओंकार चंद उपनाम करतार चंद पुत्र आशा देवी, 20. श्रीमती हल्लों देवी विधवा रुलिया, 21. जिडी पुत्र हल्लों व 22. छेलो, 23. संग्रान्दु, 24. सत्या, 25. कांता पुत्रियां मखोली, 26. पृथिया, 27. डुमणु, 28. हाडू पुत्र व 29. सीता देवी, 30. जुननों देवी पुत्रियां फेंका, 31. रवि कुमार, 32. अनिल कुमार पुत्र जगदीश, 33. मनोज कुमार, 34. राकेश कुमार पुत्र व 35. कुमारी सरोक पुत्री व 36. सुदेश कुमारी विधवा केहर सिंह, 37. माधो राम पुत्र नथु राम, 38. जरनैल सिंह पुत्र 39. श्रीमती अर्चना देवी, 40. रचना पुत्रियां व 41. कपूरों देवी विधवा रोशन लाल, 42. अंशिका पुत्री व 43. ललिता देवी विधवा ओंकार सिंह, 44. देवी प्रशाद, 45. जैपाल पुत्र रावण, 46. प्रकाश चंद पुत्र व 47. चम्पा देवी उपनाम सुंकु देवी विधवा बुशेरी, 48. सुरेश कुमार उपनाम छजू राम पुत्र प्रकाश चंद, 49. सुशील कुमार, 50. पप्पू पुत्र व 51. सुलक्षणा देवी पुत्री व 52. संध्या देवी विधवा भागी राम, 53. राहुल पुत्र व 54. कुमारी रिया पुत्री व 55. सीमा देवी विधवा अनिरुद्ध सिंह, 56. कमला प्रकाश 57. किस्सो राम पुत्र व 58. नहलता पुत्री ध्याना, 59. बलेतू, 60. दयालों पुत्रियां लोजी, 61. हाडु, 62. आत्मी पुत्र व 63. नीलमा पुत्री व 64. कपूरों देवी विधवा भीम सैन, 65. दीनानाथ, 66. नारायण सिंह, 67. हरनाम सिंह पुत्र व 68. कलाशो देवी, 69. तिम्रो देवी, 70. सस्तों देवी पुत्रियां व 71. धनों देवी विधवा अदालती, 72. राज कुमार पुत्र व्यास देव, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नं0 16, खतौनी नं0 69 ता 77, खसरा कित्ता 27, रकबा तादादी 0—15—12 है0, वाक्या महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ।

प्रार्थना—पत्र नवदीप डींगरा पुत्र श्री तिलक राज, निवासी गुरुद्वारा रोड़ कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला through power of attorney holder of श्री प्रकाश चंद पुत्र पृथ्वी सिंह पुत्र मूल, निवासी महाल ब्रेह, मौजा व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 द्वारा प्रार्थना—पत्र तकसीम बारे गुजारा है, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीको से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुश्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19—06—2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ओम प्रकाश पुत्र श्री लखा राम, निवासी गांव व डाकघर उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ओम प्रकाश पुत्र श्री लखा राम, निवासी गांव व डाकघर उस्तेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 20-12-1964 को गांव व डाकघर उस्तेहड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-06-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 09-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख दायर : 18-10-2024

तारीख फैसला : 22-11-2024

सुषमा देवी पुत्री श्री ठाकुर सिंह, निवासी महाल नेरा, मौजा सुल्याली, उप-तहसील सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण अन्तर्गत धारा 13(3) हि0 प्र0 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 ग्राम पंचायत लोहारपुरा।

प्रार्थिया श्रीमती सुषमा देवी पुत्री श्री ठाकुर सिंह, निवासी महाल नेरा, मौजा सुल्याली, उप-तहसील सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 05-04-1963 को महाल नेरा, मौजा सुल्याली में हुआ था, जिसका पंजीकरण किन्हीं कारणों से न हो पाया था। प्रार्थिया के आवेदन के

समर्थन में अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला व शपथ—पत्र प्रार्थिया व अन्य वाशिंदगान देह साथ संलग्न हैं।

प्रतिवादी आम जनता को बजरिया नोटिस मुश्ट्री/मुनादी महाल नेरा, मौजा सुल्याली व इश्तहार अखबार दैनिक जागरण प्रार्थिया के आवेदन बारे सूचित किया गया था व एतराज आमन्त्रित किए गए थे, परन्तु कोई भी एतराज पेश नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त श्री शिवदेव सिंह पुत्र श्री वकील सिंह, निवासी महाल खुखेड, सुरजीत सिंह पुत्र योगराज सिंह व योगराज, निवासी महाल खुखेड ने इस कार्यालय में हाजिर आकर अपने लिखित ब्यान में प्रार्थिया की जन्म तिथि 05-04-1963 सही होने की पुष्टि की है।

मिसल के साथ संलग्न तमाम दस्तावेजों शपथ—पत्र प्रार्थिया व वाशिंदगान देह, अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र, व्यानात गवाहान का अवलोकन करने पर प्रार्थिया का आवेदन बराये दिए जाने आदेश विलम्बित जन्म पंजीकरण सही पाया जाता है अतः सचिव ग्राम पंचायत लोहारपुरा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 05-04-1963 का पंजीकरण धारा 13(3) हि0प्र0 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के अन्तर्गत अपने पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करें। एक प्रति पंचायत सचिव लोहारपुरा को बराये अमल दामद भेजी जाकर मिसल तरतीब व तकमील होकर जाबता होकर दाखिल दफ्तर की जाये।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**Before the Marriage Officer-cum-Sub Divisional Officer,
Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.)**

In Ref. :

Munish Kumar & Pallavi Rani

Versus

General Public

Application for Registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Munish Kumar s/o Sh. Puran Chand, resident of Village Malan Dhar, P.O. Bachhwai, Tehsil Thural, Distt. Kangra (H.P.) Pincode-176 107 and Pallavi Rani d/o Sh. Rajesh Kumar, resident of Vill. Rit, P.O. Rit, Teh. Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.) Pincode 176 086. If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 02-07-2025 otherwise same will be registered.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer—cum-Sub-Divisional Officer,
Dheera, District Kangra (H.P.).

**Before the Marriage Officer-cum-Sub Divisional Officer,
Tehsil Dheera, District Kangra (H.P.)**

In Ref. :

Vinay Kumar & Simran Kumari

Versus

General Public

Application for Registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Vinay Kumar s/o Sh. Subhash Chand, resident of Village Dugahan, P.O. Paniali, Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) and Simran Kumari d/o Sh. Sanjay Ram, resident of Place Madhuban, Dhamauli, Ramnath, Muzaffarpur, Bihar, Pincode-843 108. If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 02-07-2025, otherwise same will be registered.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer,
Dheera, District Kangra (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा नं० : 36 / एन०टी०/2025

तारीख पेशी : 24-06-2025

श्रीमती अमना बीबी पुत्री स्व० श्री लतीफ मुहम्मद, निवासी मुहाल दीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती अमना बीबी पुत्री स्व० श्री लतीफ मुहम्मद, निवासी मुहाल दीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि० प्र० ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-07-1951 को गांव दीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में हुआ है किन्तु किसी

कारणवश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में न हो सका। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिये जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 24-06-2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुश्ट्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 24-06-2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
